

अध्यापक शिक्षा परिषद्
का एक विधिक संस्थान)
(उत्तर क्षेत्रीय समिति



NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

10

श.अ.शि.प./उ.क्षे.स/एफ-3/जे.के.-01/बी.एड./2001/15384

दिनांक : 26.12.2001

स्पीड/रजिस्टर्ड पोस्ट

3-1-2002

प्रार्थार्थ,
श्री रणवीर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ,
304-ए, शास्त्री नगर,
जम्मू-180004 (जम्मू-कश्मीर) ।

विषय : शिक्षा शास्त्री (बी.एड.) पाठ्यक्रम की मान्यता के संदर्भ में ।

महोदय,

आपकी संस्था के शिक्षा शास्त्री (बी.एड.) पाठ्यक्रम की मान्यता पर उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 07.12.2001 को सम्पन्न हुई 42वीं बैठक में विचार किया गया था । समिति के निर्णयानुसार आपको सूचित किया जाता है कि जम्मू-कश्मीर राज्य पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 लागू नहीं होता है तथा आपकी संस्था उसी राज्य में स्थित है । अतः आपकी संस्था को परिषद् की उत्तर क्षेत्रीय समिति से मान्यता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

भवदीय

(के.के. चुग)
क्षेत्रीय निदेशक